ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176125 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क)ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती राधा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अर्जुन बक्शी	01.04.2022 से 22.05.2022
2	श्री संतोष कुमार	23.05.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राकेश धीमान	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री विनोद	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख)गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत महाकाल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	5.84
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	23.34
3	6.2	अनुदान राशि से अधिक व्यय करना	0.11
4	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.50
5	7.2	स्वःस्त्रोत (सम्पतिकर/गृहकर) से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना व्यय के फलस्वरूप अस्थाई दुर्विनियोजन करना	0.47
7	8.1	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
8	8.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने के फलस्वरूप दुर्विनियोजन	0.03
9	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	1.74
10	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	8.51
11	9.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	4.21
12	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करना	6.79
13	11.1	बिल वाउचर प्रस्तुत न करना	0.60
14	11.2	अग्रिम भुगतान का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	0.15
15	11.3	मूल्यांकन से अधिक खपत दर्शाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान करना	0.02
16	17.4	ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि की समायोजित प्रविष्टि करने व बैंक में पुष्टि न होना	0.33
17	17.7	निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखना	0.53

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/63 दिनांक–27.01.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुए केवल 5 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 17 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष 17 पैरों के साथ– साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	04 (2 से 4)	अनिर्णीत	–
2.	05 (2)	अनिर्णीत	–
3.	07	अनिर्णीत	–
4.	08	अनिर्णीत	–
5.	9	अनिर्णीत	–
6	10	अनिर्णीत	–
7	11	अनिर्णीत	–

(2)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की माँग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 19 से पुष्टि उपरान्त

2.	4 (क,ख)	अनिर्णीत	—
3.	4.2	अनिर्णीत	—
4.	5.1	अनिर्णीत	—
5.	5.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
6	6.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
7	6.2	अनिर्णीत	—
8	7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
9	8.1	अनिर्णीत	—
10	8.2	अनिर्णीत	—
11	8.3	अनिर्णीत	—
12	9.1 से 9.4	अनिर्णीत	—
13	10.1	अनिर्णीत	—
14	10.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
15	10.3	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
16	11	अनिर्णीत	—

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत महाकाल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.03.2025 से 22.03.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय—व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	09/2022	01/2023
2023—24	12/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/181 दिनांक—22.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक महाकाल के मल्टीसिटी चैक संख्या 366514 दिनांक 28.03.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/161 दिनांकः—15.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1248407	147732	1396139.00	215720.00	1180419.00
2023-24	1180419.00	164385.88	1344804.88	113135.00	1231669.88

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2882290.81	3936088.67	6818379.48	3271693.67	3546685.81
2023-24	3546685.81	1672932.64	5219618.45	2885146.64	2334471.81

कुल योग (1+2) 1231669.88+2334471.81 **=3566141.69**

(ख). **बैंक समाधान विवरणीः–**

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹35,66,141.69/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** अनुसार अन्तशेष ₹29,81,786.23/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वयं स्रोत/ पांचवा वित्त/ एम .पी. लेड	के. सी .सी. बैंक महाकाल	20153003031	1326716.43
2	वी. के .वी .एन. वाई/ जेड.पी/ एस .डी.आर.एफ / एम .पी. लेड	एच.डी.एफ सी.बैंक बैजनाथ	23491450000229	369637
3	एस .डी.पी	एच.डी.एफ सी.बैंक बैजनाथ	2349145000253	11388.54
4	जेड.पी/पी.एस	एच.डी.एफ सी.बैंक बैजनाथ	23491450000263	23832.26
5	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक महाकाल	50067574840	8355
6	15वां वित्तायोग/ जिला परिषद /पंचायत समिति	पी.एन.बैंक महाकाल	2578000101126225	1189124
7	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			52733
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹2981786.23
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹3566141.69
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹2981786.23
अन्तरः–				584355.46

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹5.84 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹584355.46 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा—4 में दिया गया है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/164 दिनांकः—18.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— महाकाल 18/2025 दिनांकः—22.03.2025 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के उपरान्त भी प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः—

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच—एच.ए (5) सी (15) —(13) (एल) 5—47005—81 दिनांक—15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे,बल्कि स्वःस्त्रोत, व पांचवा वित,एम.पी.लेड तथा वी.के.वी.एन.वाई,जेड.पी,एस.डी.आर.एफ,व एम.पी.लेड आदि शीर्षों के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20153003031 तथा 23491450000229 खोले गये थे, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/180 दिनांक:–22.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–महाकाल 18/2025 दिनांक:–22.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	जेड.पी/ 15वां वित	पी/24,28,44 /120/17, 31.01.2023	322483,3251/ निल, 22.12.2022 मस्ट्रोल–9197	निर्माण चेक डैम महालण खडड और कुल्ह वार्ड–3	138058
2	15वां वित	पी/26,29,42 / 123/107/17,18.01.2023	322483,3293,94 / निल, 27.12.2022,निल	निर्माण वाटर टैंक नजदीक बावडी मेहला वार्ड 1	58572
3	15वां वित	पी/30/ 124/17.01.2023	3272/23.12.2022	निर्माण रास्ता व ड्रेन कुट बोडू से मेन रास्ते तक	44892
4	15वां वित	पी/14–17,2	227080,167,166,0	निर्माण सामुदायिक	211580

		0,21,27 / 18, 29.06.2023	679,0691,0677 / 13.05.2023 निल,18.01. 2024,14,15.06. 2023 मस्ट्रोल 12274	शौचालय नजदीक महाकाल मन्दिर नजदीक शमशानघाट वार्ड 3	
5	15वां वित	पी / 18–19, 26 / 18,29. 06.2023	227142,149 / 02. 08.2023,निल मस्ट्रोल 9187	निर्माण सडक नरेश के घर से सुरेश अवस्थी के घर की ओर वार्ड 4	60890
6	15वां वित	पी / 22 / 18. 06.2023	मस्ट्रोल 9193	निर्माण रास्ता व डेन कुट बोडू मेन से रास्ते की ओर	51380

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से प्राप्त की गई आय व किये गये व्यय का भी लेखा खाता / खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 180 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–महांकाल 18 / 2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों / लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में गत अंकेक्षण अवधि व वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹13,26,232 से ₹13,26,716.43 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/180 दिनांकः 22.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– महाकाल 18/2025 दिनांक 22.03.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹23.34/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/161 दिनांकः–15.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹23,34,471.81/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित्त/एम.पी.लेड	31.03.2024	618635.81
2	वी.के.वी.एन.वाई/जेड.पी/एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	510286.00
3	एस.डी.पी	31.03.2024	5588
4	14वाँ वित्त	31.03.2024	-11445
5	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1189124
6	जेड.पी/पी.एस	31.03.2024	22283
		कुल जोड	**2334471.81**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/165 दिनांक–18.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– महांकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में नियमानुसार व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 14वां वित अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से राशि ₹0.11/– लाख का अधिक व्यय करनाः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0, शिमला–9 के पत्र पृष्ठांकन संख्या 26746–26836 दिनांक 16.07.2010 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा धन राशि के प्रयोग करने हेतु मार्गदर्शनानुसार "अनुदान राशि से अधिक व्यय किसी भी अवस्था में न किया जाए।" अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 2** के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए शीर्ष 14वें वित्त के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की अपेक्षा **₹11445/-** का अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया था, जोकि एक वितीय अनियमितता हैः–

क्र0सं0	अनुदान	अधिक व्यय (₹)
1.	14वां वित	11445

अतः स्पष्ट दिशा–निर्देशों के उपरान्त भी उपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत किये गये अधिक व्यय बारे सम्पूर्ण अभिलेखों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः—

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.50/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/161 दिनांकः—15.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹50150**/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया ,जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/166 दिनांकः—18.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—महाकाल 18/2025 दिनांकः—22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके , भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 स्वःस्त्रोत सम्पत्ति कर/गृहकर से प्राप्त आय राशि ₹0.47/- लाख को बैंक में जमा करवाये बिना व्यय के फलस्वरूप अस्थाई दुर्विनियोजन बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

आय चयनित मास 12/2023 की स्वःस्त्रोत (सम्पतिकर/गृहकर) की रसीद बुकों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार ₹47200/- ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में जमा नहीं करवाये गये थे फलस्वरूप पंचायत के स्वः स्त्रोत की आय के अस्थायी दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता व यह एक वित्तीय अनियमितता हैः—

क्र0सं0	रसीद संख्या	रोकड बही पृष्ठ संख्या/दिनांक	प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा (₹)	कम जमा (₹)
1	182201 से 182300	48/06.12.2023	20000	36400 (दिनांक 19.12. 2023 को)	47200
2	182301 से 182400	48/15.12.2023	12800		
3.	182601 से 182643	49/16.12.2023	8000		
4.	182701 से 182728	49/16.12.2023	5600		
5.	182731 से 182742	49/16.12.2023	2400		
6.	182801 से 182900	50/17.12.2023	20000		
7	182927 से 183000	50/18.12.2023	14800		
कुल			**83600**	**36400**	**47200**

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/167 दिनांकः—18.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या— महाकाल 18/2025 दिनांकः—22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि स्वःस्त्रोत सम्पतिकर/गृहकर से प्राप्त उक्त राशि बैंक में जमा नहीं करवाई गई, जो गणना में गलती लगने से हुआ। इस राशि को बैंक में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः स्वःस्त्रोत सम्पतिकर/गृहकर के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार तथा हिमाचल सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)313/89-50234-322 दिनांक 26.03.2010 द्वारा अग्रिम, नकद व अवैध राशियों की वसूली बारे जारी दिशा—निर्देशों अनुसार उक्त राशि की वसूली निर्धारित ब्याज दर सहित करना सुनिश्चित की जाए तथा यह मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आश्य से लाया जाता है कि इस अनियमितता की गहनता से जांच पड़ताल करने पश्चात वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को

अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

8.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹0.04/- लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 161 दिनांकः—15.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 32 विवाह पंजीकृत किये गये थे,जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जवकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹3800 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे ।

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 168 दिनांकः—18.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत महाकाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— महाकाल 18 / 2025 दिनांकः—22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को प्राप्त करने उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.03 /— लाख को सरकारी कोष / बैंक में जमा न करवाकर दुर्विनियोजन करने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः—04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070—60—108—01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/161 दिनांकः–15.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राशि ₹3300/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी, परन्तु उसे न तो सरकारी कोष में और न ही पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जिससे सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/168 दिनांकः–18.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत महाकाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया, इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.74/– लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत महाकाल के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹173768.74/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/169 दिनांकः–19.03.2025 द्वारा उपरोक्त दोहराई गई अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के

कार्यालय पत्र संख्याः— महाकाल 18/2025 दिनांकः—22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरांत ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.20 से 31.03.2022 के पैरा 9.1 में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के पश्चात भी नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः दोहराई गई इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुतस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹8.51/— लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महाकाल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट—"6"** पर संकलित राशि ₹851286/— के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। फलस्वरूप क्रय सामग्री के दुर्विनियोजन/दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/170 दिनांकः—20.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—महाकाल 18/2025 दिनांकः—22.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/20 से 03/22 के पैरा 9.3 में दर्ज अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.21/— लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹420870.84/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

दोहराई गई इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/171 दिनांकः–20.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व अनभिज्ञता में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर दोहराई गई अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹6.79/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹678563/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.जेड. पी/15वां वित	पी/24,28 ,44/120 /17, 31. 01.2023	322483,3251/ निल,22.12.2022 मस्टोल–9197	निर्माण चेक डैम महालण खडड और कुल्ह वार्ड–3	138058	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका, 34–सी
2.15वां वित	पी/26,29 ,42/ 123/107 /17,18. 01.2023	322483,3293,94/ निल,27.12. 2022,निल	निर्माण वाटर टैंक नजदीक बावडी मेहला वार्ड 1	58572	प्रस्ताव, प्राक्कलन,माप–पुस्तिका, 34–सी
3.15वां वित	पी/30/ 124/17. 01.2023	3272/23.12.2022	निर्माण रास्ता व डेन कुट बोडू से मेन रास्ते तक	44892	माप–पुस्तिका, 34–सी
4.मनरेगा	निल/28. 06.2023	3778/07.02.2023	निर्माण कुल्ह रणधीर जमीन से शुसील जमीन की ओर वार्ड 1	26251	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका, 34–सी
5.मनरेगा	निल/21. 06.2023	1797/28.08.2023	निर्माण पोलटरी शेल्टर प्रकाश चन्द स्पुत्र टीरू	7526	माप–पुस्तिका

			राम वार्ड –4		
6.मनरेगा	निल/28.06.2023	3775,3785/06,07.02.2023	निर्माण सडक राम शरण के घर से कनु राम के घर की ओर वार्ड 2	64052	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका, 34–सी
7.मनरेगा	निल/28.06.2023	099/09903/16.03.2023	निर्माण वाटर टैंक सीमा चौधरी की जमीन वार्ड. 4	15362	माप–पुस्तिका
8.15वां वित	पी/14–17,20,21,27/18,29.06.2023	227080,167,166,0679,0691,0677/13.05.2023 निल,18.01.2024,14,15.06.2023 मस्टोल 12274	निर्माण सामुदायिक शौचालय नजदीक महांकाल मन्दिर शमशानघाट वार्ड 3	211580	प्रस्ताव,प्राक्कलन, माप–पुस्तिका, 34–सी
9.15वां वित	पी/18–19, 26/18,29.06.2023	227142,149/02.08.2023,निल मस्टोल 9187	निर्माण सडक नरेश के घर से सुरेश अवस्थी के घर की ओर वार्ड 4	60890	प्रस्ताव, माप–पुस्तिका, 34–सी
10.15वां वित	पी/22/18.06.2023	मस्टोल 9193	निर्माण रास्ता व डेन कुट बोडू से मेन रास्ते की ओर	51380	माप–पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**678563**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत महाकाल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/172 दिनांक:–20.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–महाकाल 18/2025 दिनांक 22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त विभिन्न अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व

नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11.1 राशि ₹0.60/– लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹60245/–**का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः–

क्र0सं0	अनुदान/ मद	वाउचर सं/ दिनांक/बिल सं0	कार्य का नाम/ विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)
1.	सभा निधि	पी/20/09.06.2023	Internet bill	निल	1021
2.	5वां वित	पी/08/09.06.2023	Panchyat Chokidar Salary	59	6200
3.	14वां वित	पी/02/01.06.2023	LED Department Fee	3	4000
4.	15वां वित	पी/23/18.06.2023	Installation of solar light near Aman Palace Ward 3	80	15608
5.	15वां वित	पी/24/18.06.2023	Installation of solar light near Punjab Singh House Ward 3	81	15608
6.	15वां वित	पी/25/18.06.2023	Installation of solar light near Sushil Bakshi House Ward 3	81	15608
7.	सभा निधि	पी/35/02.01.2023	LCD Hdmi cable	20	2200
				कुल	**60245**

उक्त बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/178 दिनांक:—21.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:— महाकाल 18/2025 दिनांक:—22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि इन्हें आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11.2 अग्रिम भुगतान राशि ₹0.15/— लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना:—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म—9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वितीय वर्ष के अन्त तक समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹15362/— का अग्रिम प्रदान किया गया, लेकिन 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था तथा उसके समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया:—

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/ दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर (₹)	असमा—योजित राशि (₹)
1	मनरेगा	निल/28.06. 23/099/ 09902	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन टासीचौंक	सीमेंट बैग	40	384. 05	15362

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/173 दिनांक:—20.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:— महाकाल 18/2025 दिनांक:— 22.03. 2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन टासीचौंक बैजनाथ को किये गये अग्रिम भुगतान के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को तैयार करने उपरांत लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपॅरिशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.3 निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीदने हेतु ₹0.02/– लाख का अधिक भुगतान करनाः–

नि0 रास्ता व ड्रेन कुट बोडू से मुख्य रास्ता वार्ड 5 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 10494 के पृष्ठ संख्या 79 व 80 में निर्माण सामग्री, सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 322483 दिनांक निल के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 90 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹2020/– का अधिक भुगतान किया गया थाः–

क्र0 सं0	**अनुदान**	**सामग्री**	**क्रय की गई सामग्री की मात्रा**	**निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा**	**अंतर**	**दर (₹)**	**राशि (₹)**
1.	15वां वित	सीमेंट	90बैग	85बैग	5बैग	404.05	2020

<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–</u>

2.Item-4 -P/L(1:3:6)=19.28m3X4.40(Cement. Factor) =84.83 **or say 85 Bags**

उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/180 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित अनुदान में जमा करवा दी जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी व अन्य सामग्री तथा मजदूरी पर किये गए अधिक भुगतान की गणना कर, उसकी वसूली भी उचित स्त्रोत से करके

सम्बन्धित शीर्ष के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹5.51/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 01/2023 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व संलग्न **"परिशिष्ट–6"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹551372.43/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/180 दिनांकः–22.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत महाकाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि संयुक्त हस्ताक्षरो से सम्बन्धित अनियमितता के नियमों की वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी,जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः—

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:—

क्र॰स॰	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन. वाई	पी/5/155/02.01.2023	9182/4 9238/05	15584 17168
2	15वां वित/जेड.पी	पी/23/17.01.2023	9183	8280
3	15वां वित	पी/44/31.01.2023	9197	30450
4	15वां वित	पी/45/31.01.2023	9195	10086
5	15वां वित	पी/22/18.06.2023	9193	51380
6	15वां वित	पी/27/30.06.2023	12274	51380

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यो के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरों के सथान पर केवल पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर ही करवाये गए, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जबकि उक्त समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया है, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

5.क्रम संख्या 2,3,4 व 5 में किये गये भुगतान के मस्ट्रोल, किस प्रस्ताव संख्या व दिनांक द्वारा जारी किया गये, से सम्बन्धित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि

उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में वितीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/179 दिनांकः–21.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– महाकाल 18/2025 दिनांक 22.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार अनुपालना अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

14. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" व परिशिष्ट 6,7 के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ति बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के संबंध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2020/180 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा सचिब ग्राम पंचायत महाकाल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं हेतु नियमानुसार वर्तमान समय से अनुपालना की जा रहीं है तथा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो 01/2023 व 06/2023 दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

15 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/161 दिनांकः 15.03.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी

5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/161 दिनांकः–15.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

17.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा था। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है।

अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान प्राप्त खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त

करके इनके प्रयोग का पूर्ण विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा वस्तुस्थिति कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत महाकाल के चयनित मासो 01/2023 व 06/2023 के विभिन्न अनुदानों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/180 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–महाकाल 18/2025 दिनांकः–22.03. 2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित किये जा रहे है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 में चयनित मासो 01/2023 व 06/2023 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.4 ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि ₹0.33/–लाख की समायोजित प्रविष्टि करने व बैंक में पुष्टि न होने बारे :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातों में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सभा निधि की संयुक्त ऑनलाईन रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹33355/– की बिना किसी ठोस आधार के समायोजित प्रविष्टियां(Adjustment Voucher) आय–वयय के रूप में की गई दर्शाई गई थी। इन प्रविष्टियों के संबंध में पड़ताल हेतु समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए तथा इसकी बैंक पासबुक में भी पुष्टि नहीं हो पाई, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता के साथ–साथ आपतिजनक भी है:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	सभा निधि	पी/1/01.04.2022	व्यय	Not in a voucher Balance Adjustment Cash in hand	शून्य	90
2	सभा निधि	पी/29/23.08.2022	व्यय	Not in a voucher Balance Adjustment voucher	शून्य	16817
3	सभा निधि	आर/28/01.01.2023	आय	Not in a voucher Balance Adjustment Voucher	शून्य	16448
					कुल	33355

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/180 दिनांक:–22.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत महाकाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– महाकाल 18/2025 दिनांक:–22.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सभा निधि की रोकड़ बही में उक्त राशि की समायोजित प्रविष्टि की गई, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

17.5 गत अंकेक्षण अवधि/वितीय स्थिति के अंतशेषों व प्रस्तुत ऑनलाईल रोकड़ बहियों के अथशेषो में राशि ₹0.36/–लाख के अंतर बारेः–

ऑनलाईल रोकड बहियों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–8** के अनुसार ग्राम पंचायत के गत अंकेक्षण अवधि/वितीय स्थिति के अंतशेषों तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि की ऑनलाईल स्कीम वाईज रोकड़ बहियों के दिनांक 01.04.2022 के अथशेषों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹36038.65/– का अंतर पाया गया। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का ऑनलाईन माध्यम से मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैः–

क्रमांक	दिनांक 01.04.2022 को गत अंकेक्षण के अनुसार अथशेषों का कुल योग (₹)	दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत ऑनलाईन रोकड़ बहियों के अनुसार नकद शेष सहित अथशेषों का कुल योग (₹)	अंतर (₹)
1	3582830	3546791.35	36038.65

नोटः दिनांक 31.3.22 को गत अंकेक्षण के अथशेष व वित्तीय स्थिति के अथशेष दिनांक 1.4.22 में भी ₹547867.81 का अन्तर है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/182 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–महाकाल 18/03/2025 दिनांकः–22.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि का अंतर पाया गया, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वर्णित अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसका मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाईन माध्यम से रोकड़ बहियों का रख–रखाव उचित तरीके से किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17.6 रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करके रसीदें खाली छोड़ने बारेः–

आय की नमूना अंकेक्षण में पाया गया है कि पंचायत द्वारा बार–बार रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करते हुये अंकेक्षणावधि में ही तीन रसीद बुकों में 150 रसीदें खाली छोड़ी गई थी

जिनका विवरण निम्न तालिका में है। यह खाली रसीदें किस उद्देश्य से छोड़ी गई हैं इस बारे अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नही किया गया। अतः इस सन्देहजनक कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन खाली रसीदों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए:—

क्र•सं0	रसीद बुक क्रमाँक	उपयोग की गई अन्तिम रसीद संख्या	खाली रसीदों की संख्या
1.	102157 से 182200	102156	44
2.	182644 से 182700	182643	57
3.	182752 से 182800	182751	49
	खाली रसीदों की कुल संख्या		**150**

17.7 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/— तक की राशि ही इम्प्रैस्ट (अग्रदाय) रूप में रखी जा सकती है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि को हस्तगत रखा गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है।

अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यह प्रकरण आवश्यक जाँच उपरान्त तदानुसार वस्तुस्थिति से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

क्र0सं0	रो• ब• पृ•	दिनाँक	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1.	48	06.12.2023	20540
2.	49	16.12.2023	51340
3.	50	18.12.2023	87133
4.	51	26.12.2023	50733
5.	52	30.01.2024	50733
6.	54	29.02.2024	50733
7.	56	29.03.2024	52733

18 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

31 MAY 2025 का0/प्रति

3087 – 3091

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)19/2016—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या -4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP MAHAKAL BLOCK BAIJNATH KANGRA(H.P)-176125 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES(5TH SFC/MPLAD)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1248407	147732	1396139.00	215720.00	1180419.00
2023-24	1180419.00	164385.88	1344804.88	113135.00	1231669.88

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2882290.81	3936088.67	6818379.48	3271693.67	3546685.81
2023-24	3546685.81	1672932.64	5219618.45	2885146.64	2334471.81

Radha Devi
प्रधान
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, महाकाल
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

ANNEXURE -2(पैरा संख्या - "6ग")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MAHAKAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC/MPLAD	2022-23	547867.81	411061.00	958928.81	313278.00	645650.81
		2023-24	645650.81	327687.00	973337.81	354702.00	618635.81
2	VKVNY/ZP/SDRF	2022-23	413528.00	106159.00	519687.00	108167.00	411520.00
		2023-24	411520.00	98766.00	510286.00	0.00	510286.00
3	SDP	2022-23	34594.00	1418.00	36012.00	30841.00	5171.00
		2023-24	5171.00	417.00	5588.00	0.00	5588.00
4	14TH FC	2022-23	648833.00	8653.00	657486.00	644473.00	13013.00
		2023-24	13013.00	342.00	13355.00	24800.00	-11445.00
5	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1215185.00	2263837.00	3479022.00	1029974.00	2449048.00
		2023-24	2449048.00	273227.00	2722275.00	1533151.00	1189124.00
7	ZP/PS	2022-23	22283.00	0.00	22283.00	0.00	22283.00
		2023-24	22283.00	0.00	22283.00	0.00	22283.00
8	MGNREGA	2022-23	0.00	1144960.67	1144960.67	1144960.67	0.00
		2023-24	0.00	972493.64	972493.64	972493.64	0.00

नोट:-अनुदान पांचवा वित/एम.पी.लेड को गत अंकेक्षण में अलग से नहीं लिया गया। जबकि वर्तमान अंकेक्षण में उक्त अनुदान की अलग से ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 01.04.2022 को राशि 547867.81 का अथशेष है। अत: दिनांक 01.04.2022 को अनुदानों का कुल अथशेष राशि 2882290.81(2334423+547867.81) लिया गया है।

Radha Devi

35

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत महाकाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.176125

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत महाकाल के दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र.सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31- 03 -2024 को
01	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित्/ एम .पी. लेड	के. सी .सी. बैंक महाकाल	20153003031	1326232	1326716.43
02	वी. के .वी .एन. वाई/ जेड.पी/ एस .डी.आर.एफ / एम .पी. लेड	एच.डी.एफ सी.बैंक बैजनाथ	23491450000229	272879	369637
03	एस .डी.पी	एच.डी.एफ सी.बैंक बैजनाथ	2349145000253	40394	11388.54
04	जेड.पी/पी.एस	एच.डी.एफ सी.बैंक बैजनाथ	23491450000263	22283	23832.26
05	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक महाकाल	50067574840	668633	8355
06	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	पी.एन.बैंक महाकाल	2578000101126225	1215185	1189124
07	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			00	52733
	कुल योग			3545606	2981786.23

Radha Devi
प्रधान

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत, महाकाल
वि0 ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0प्र0

36

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7.1)

कार्यालय ग्राम पंचायत महाकाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.176125, दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत महाकाल में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 530 व 2023-24 में 540 परिवारों में सभी परिवारों से 100 रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	26750	530	100	53000	79750	00	79750
2023-24	79750	540	100	54000	133750	83600	50150

Radha Devi
प्रधान
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, महाकाल
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

परिशिष्ट -05 (पैरा संख्या "8.1 व 8.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत महाकाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.,प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि व वसूली हेतु शेष

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद स0/वि. रजि.पृ.स.	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	NISHANT SAHRMA	07-06-2022	18/07/2022	064/53	400	200	200
2	VINAY RANA	20/07/2022	29/07/2022	065/53	200	200	0
3	PAYAL RANA	04-08-2022	29/09/2022	066/54	400	200	200
4	SHALINI RANA	26/09/2022	06-10-2022	067/54	200	200	0
5	AARTI SOOD	26/09/2022	14/10/2022	068/54	200	200	0
6	PAWANA RANA	04-10-2022	04-10-2022	069/55	200	200	0
7	SUDHIR KUMAR	04.12.2022	20/12/2022	056/55	200	200	0
8	MADHU	04-09-2022	04-11-2022	071/55	400	200	200
9	SANDEEP KUMAR	26/01/2023	07-02-2023	057/56	200	200	0
10	AAKASH RANA	30/01/2023	09-02-2023	058/56	200	200	0
11	SANJEEV KUMAR	31/01/2023	15/02/2023	059/56	200	200	0
12	RENU BALA	26/01/2023	03-03-2023	060/57	400	200	200
13	ANKUSH DHIMAN	22/02/2023	10-03-2023	061/57	200	200	0
14	POONAM	22/02/2023	14/03/2022	57	200	0	200
15	VISHAL CHOUDHARY	10-05-2023	24/05/2023	57	200	0	200
16	AJAY BAKSHI	10-05-2023	10-05-2023	58	200	0	200
17	AARTI SHARMA	11-05-2023	11-05-2023	58	200	0	200
18	SWATI BAKSHI	03-05-2023	24/05/2023	58	200	0	200
19	AMAR SINGH	13/05/2023	30/05/2023	58	200	0	200
20	DEEPA KUMARI	05-06-2023	14/06/2023	58	200	0	200
21	PRATIBHA SHARMA	11-06-2023	16/06/2023	59	200	0	200
22	SHASHI KUMAR	03-06-2023	12-07-2023	59	400	0	400
23	PRANV BHARTI	06-05-2022	25/05/2022	063/53	200	200	0
24	ABHINAV	15/01/2024	23/02/2024	062/60	50	50	0
25	NEERAJ	01-11-2023	09-11-2023	59	200	0	200
26	KRITIKA SHARMA	01-11-2023	15/11/2023	59	200	0	200
27	AARTI RANA	14/11/2023	01-12-2023	60	200	0	200
28	VIKASH KUMAR	19/11/2023	01-12-2023	60	200	0	200
29	ANJALI DEVI	08-12-2023	20/12/2023	60	200	0	200
30	EKTA KUMARI	29/02/2024	12-03-2024	073/61	50	50	0
31	ALPNA	11-03-2024	16/03/2024	074/61	200	200	0
32	SUMAN KUMAR	21-04-2022	29-04-2022	020/53	200	200	0
				कुल	**7100**	**3300**	**3800**

Radha Devi
प्रधान
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, महाकाल
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या - 9.1, 9.2 व 12)

ग्राम पंचायत महांकाल विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व संयुक्त हस्ताक्षर किये बिना ही भुगतान करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	P/39/30.01.2023	Electrical Material	014/03.01.2023	M/s Prakash Electrical Chobu Mahakal	-	-	2200	Stock Entry ,Joint Signature
2.15TH FC	P/24/17.01.2023	Cement Bag	322483/NIL	M/s H.P.C.S Paprola	150	404.05	60607.5	Stock Entry ,Joint Signature
3.15TH FC	P/25/17.01.2023	Cement Bag	322483/NIL	M/s H.P.C.S Paprola	90	404.05	36364.5	Stock Entry ,Joint Signature
4.15TH FC	P/26/107/17.01.2023	Cement Bag	322483/NIL	M/s H.P.C.S Paprola	76	404.05	30707.8	Stock Entry ,Joint Signature
5.15TH FC	P/27/107/17.01.2023	Cement Bag	322483/NIL	M/s H.P.C.S Paprola	65	404.05	26263.25	Stock Entry ,Joint Signature
6.ZP/15TH FC	P/28/122/17.01.2023	Crasher	3251/22.12.2022	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	600	36.50	21900.00	Stock Entry ,Joint Signature
		Sand			400	47.50	19000.00	
		Stone solling			200	30.50	6100.00	
715TH FC	P/29/17.01.2023	Crasher	3293/27.12.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	430	36.50	15695.00	Stock Entry ,Joint Signature
		Sand			225	47.50	10687.50	
8.15TH FC	P/30/124/17.01.2023	Crasher	3272/23.12.2022	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	670	36.50	24455.00	Stock Entry ,Joint Signature
		Sand			350	47.50	16625.00	
		Stone solling			125	30.50	3812.50	
9.15TH FC	P/31/125/17.01.2023	Crasher	3501/23.12.2022	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	337	36.50	12299.83	Stock Entry ,Joint Signature
		Sand			178	47.50	8455.36	
		Stone solling			595	30.50	18148.69	
10.15TH FC	P/32/6/17.01.2023	Installation of Solar light mata temple near house Sandla devi	43272/06.07.2023	Himurja	1	13070.00	13070.00	Stock Entry ,Joint Signature
11.15TH FC	P/33/6/17.01.2023	Inst. of Solar light Guldev Saphia house	43272/06.07.2023	Himurja	1	13070.00	13070.00	Stock Entry ,Joint Signature
12.15TH FC	P/34/6/17.01.2023	Inst. of Solar light near Mahakal Shamshanghat	43272/06.07.2023	Himurja	1	13070.00	13070.00	Stock Entry ,Joint Signature
13.15TH FC	P/35/6/17.01.2023	Inst. of Solar light near Punjab National Bank	43272/06.07.2023	Himurja	1	13070.00	13070.00	Stock Entry ,Joint Signature
14.15TH FC	P/36/6/17.01.2023	Inst. of Solar light near Ghanshyam Mishra House	43272/06.07.2023	Himurja	1	13070.00	13070.00	Stock Entry ,Joint Signature
15.15TH FC	P/37/6/17.01.2023	Inst. of Solar light near Bhawani Dass Shop	43272/06.07.2023	Himurja	1	17719.00	17719.00	Stock Entry ,Joint Signature
16.15TH FC	P/38/6/17.01.2023	Inst. of Solar light at Bala Ram Chocwk Hartada	43272/06.07.2023	Himurja	1	15608.00	15608.00	Stock Entry ,Joint Signature
17.15TH FC	P/39/6/17.01.2023	Inst. of Solar light at Mahakal Chowk	43272/06.07.2023	Himurja	4	11776.00	47104.00	Stock Entry ,Joint Signature
18.15TH FC	P/40/43/18.01.2023	Cement Ciarriage	94/NIL	M/s New Amar Transport Mahakal	381	19.50	7429.50	Two Quatation Shown ,Joint Signature
19.NREGA	NIL/09.01.23	Shuttering(sqf)	77/20.10.21	M/s Pardeep Kumar Rana Chhobu Baijnath	700	15.00	10500.00	Quatation ,Joint Signature
20.NREGA	NIL/09.01.23	Shuttering(sqf)	78/04.03.22	M/s Pardeep Kumar Rana Chhobu Baijnath	416	15.00	6240.00	Quatation ,Joint Signature
21.NREGA	NIL/09.01.23	Shuttering(sqf)	80/11.03.22	M/s Pardeep Kumar Rana Chhobu Baijnath	700	15.00	10500.00	Quatation ,Joint Signature
22.NREGA	NIL/28.06.23	Solling Stone	3778/07.02.2023	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	300	30.50	9150.60	Stock Entry
		Sand			360	47.50	17100.72	
23.NREGA	NIL/21.06.23	Bricks	1797/25.08.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	800	9.41	7526.40	Srock Enrty
24.NREGA	NIL/21.06.23	Sand	1796/25.08.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	180	47.50	8550.00	Srock Enrty
25.NREGA	NIL/21.06.23	Sand	1795/25.08.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	180	47.50	8550.00	Srock Enrty

Radha Devi
प्रधान
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, महांकाल
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०

26.NREGA	NIL/21.06.23	Sand	1794/25.08.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	180	47.50	8550.00	Srock Enrty
27.NREGA	NIL/21.06.23	Sand	1793/25.08.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	180	47.50	8550.00	Srock Enrty
28.NREGA	NIL/21.06.23	Sand	1792/25.08.22	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	180	47.50	8550.00	Srock Enrty
29.NREGA	NIL/28.06.23	Solling Stone Sand	3775/06.02.2023	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	900 300	32.00 44.50	28803.60 13349.70	Stock Entry
30.NREGA	NIL/28.06.23	Crusher	3785/07.02.23	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	600	36.50	21898.80	Srock Enrty
31.NREGA	NIL/28.06.23	Cement Bag	099/09903/16.03.23	M/s H.P.C.S Paprola	40	384.05	15362	Stock Entry
32.NREGA	NIL/28.06.23	Cement Bag	099/09901/6.03.23	M/s H.P.C.S Paprola	40	384.05	15362	Stock Entry
33.15.TH FC	P/13/16.06.23	Sand Crasher	0644/10.06.23	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	220 400	62.00 49.50	13640.44 19798.80	Stock Entry ,Quatation
34.15TH FC	P/14-15/18.06.2	Cement Bag	227080/13.05.23	M/s H.P.C.S Paprola	150	384	57600	Stock Entry,Joint Signature
35.15TH FC	P/16,17/18.06.23	Cement Ciarriage	167,166/Nil,18.01.24	M/s New Amar Transport Mahakal	150	36	5400	Quatation
36.15TH FC	P/18.06.23	Cement Bag	227142/02.08.23	M/s H.P.C.S Paprola	85	384	32640	Stock Entry
37.15TH FC	P/19/18.06.23	Cement Ciarriage		M/s New Amar Transport Mahakal	85	36	3060	Quatation
38.15TH FC	P/20/18.06.23	Sand	0679/14.06.23	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	600	49.5	29700	Stock Entry,Quatation
39.15TH FC	P/20/18.06.23	Sand Crasher	0691/15.06.23	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	300 300	62.00 49.50	18600.60 14849.10	Stock Entry ,Quatation
40.15TH FC	P/20/18.06.23	Solling Stone Sand Crasher	0677/14.06.2023	M/s Mani Ram Sham Lal Paprola	300 150 200	49.50 62.00 49.50	14850.60 9300.30 9899.40	Stock Entry ,Quatation
						G/Total	**894415.48**	

नोट:- 1 क्रम संख्या 18 से 21, 33, 35, 37 38, 39 व 40 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया। Radha Devi

2. क्रम संख्या 1 से 17 22 से 34 36, 38, 39 व 40 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई।

3. क्रम संख्या 1 से 21 व 34 का संयुक्त हस्ताक्षरों के बिना ही भुगतान किया गया।

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – 9.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत महांकाल विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगडा हि0प्र0 –176125 द्वारा द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	NREGA	NIL/28/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3778/07/02/2023	SOLLING STONE	300	30.50	9150.60
					SAND	360	47.50	17100.72
2	NREGA	NIL/21/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	1794/25/08/2022	SAND	180	47.50	8550.00
3	NREGA	NIL/21/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	1795/25/08/2022	SAND	180	47.50	8550.00
4	NREGA	NIL/21/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	1796/25/08/2022	SAND	180	47.50	8550.00
5	NREGA	NIL/21/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	1792/25/08/2022	SAND	180	47.50	8550.00
6	NREGA	NIL/21/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	1793/25/08/2023	SAND	180	47.50	8550.00
7	NREGA	NIL/21/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3785/07/02/2023	CRUSHER	600	36.50	21898.80
8	NREGA	NIL/28/06/2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3775/06/02/2023	SOLLING STONE	900	32.00	28803.60
					SAND	300	44.50	13349.70
10	ZP/15 TH FC	P/28/122/17.01.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3251/22.12.2022	Crasher	600	36.50	21900.00
					Sand	400	47.50	19000.00
					Stone solling	200	30.50	6100.00
11	ZP/15 TH FC	P/29/123/17.01.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3293/27.12.2022	Crasher	430	36.50	15695.00
					Sand	225	47.50	10687.50
12	15 TH FC	P/30/124/17.01.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3272/23.12.2022	Crasher	670	36.50	24453.66
					Sand	350	47.50	16625.70
					Stone solling	125	30.50	3812.75
13	15 TH FC	P/31/125/17.01.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	3501/	Crasher	337	36.50	12299.83
					Sand	178	47.50	8455.36
					Stone solling	595	30.50	18148.69
14	15 TH FC	P/13/16.06.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	0644/10.06.2023	Sand	220	62.00	13640.44
					Crasher	400	49.50	19798.80
15	NREGA	P/20/18.06.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	0679/14.06.2023	SAND	600	49.50	29700.00
16	15 TH FC	P/20/18.06.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	0691/10.06.2023	Sand	300	62.00	18600.60
					Crasher	300	49.50	14849.10
17	15 TH FC	P/21/18.06.2023	MANI RAM SHAM LAL PAPROLA	0677/14.06.2023	Crasher	200	49.50	9900.00
					Sand	150	62.00	9300.00
					Stone solling	300	49.50	14850.00
						कुल योग		**420870.84**

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

3. All payments taken including GST @5%.

Vinod Kumar
PRO ÷ Mahakal

Radha Devi
प्रधान
ग्राम पंचायत, महाकाल
वि0 ख0 बैजनाथ (कांगड़ा) हि0

R. Kumar
Technical Assistant
Gram Panchayat Mahakal
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P

91

परिशिष्ट -8 (पैरा संख्या "17.5" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत महाकाल विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.176125

दिनांक 31-03-2022 को गत अंकेक्षण के अनुसार अंतशेषो तथा दिनांक 01-04-2022 को प्रस्तुत स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़बहियों के (नकद व बैंक)अथशेषो में अंतर बारे :-

क्र०	मद/अनुदान	गत अंकेक्षण के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को अंतशेष	दिनांक 01.04.2022 को वितीय अनुसार अथशेष	दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत की गई स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़वहियों अनुसार(नकद व बैंक)अथशेष
1	SF/3RD /5TH SFC/ZP/BDC	1248407	1248407	801832
2	5TH SFC/MPLAD	Not produced in last audit separately	547867.81	547867.81
3	VKVNY/ZP	413528	413528	272879
4	SDP	34594	34594	40394.54
5	ZP/PS	22283	22283	Not produced in current audit separately
6	14TH FFC	648833	648833	668633
7	15TH FFC	1215185	1215185	1215185
	TOTAL	**3582830**	**4130697.81**	**3546791.35**

गत अंकेक्षण के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को अंतशेष	दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत की गई स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़वहियों अनुसार(नकद व बैंक)अथशेष	अंतर
3582830	3546791.35	36038.65

Radha Devi
प्रधान
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, महाकाल
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

42